कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1655/2022 राजविन्द्र कौर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2022 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थिया वर्तमान में राउमावि, रामनगर, जिला–अजमेर में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर कार्यरत है। याचिकार्थिया के कथनानुसार याचिकार्थिया के दो पुत्र है, जिनमें से छोटा पुत्र मानसिक रोग से पीड़ित है जिसका ईलाज जयपुर व चंडीगढ़ में चल रहा है। याचिकार्थिया की सास की मृत्यु हो चुकी है तथा वृद्ध ससुर लकवे की बीमारी से ग्रसित हैं। अपने दो पुत्रों व ससुर की देखभाल करने में याचिकार्थिया को दूरस्थ कार्य करते हुए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अजमेर जिले (अजमेर मण्डल) से गृह जिले हनुमानगढ़(बीकानेर मण्डल) के राउमावि वार्ड न. 1 धोलीपाल अथवा राउमावि मुन्डा, जिला–हनुमानगढ़ में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2022 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के अनुसार वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक का पद मण्डल स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक का पद मण्डल कैडर का होने के कारण मण्डल परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का मण्डल स्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद मण्डल में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार/मण्डलवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को मण्डलवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य मण्डल में स्थानान्तरण कर मण्डल परिवर्तन किये जाने से मण्डल में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर मण्डल स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

सत्यमेव जयते

(कानाराम)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12808/2022 दिनांकः– 04/03/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, अजमेर
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
5. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
6. याचिकार्थिया राजविन्द्र कौर, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, राउमावि, रामनगर, जिला अजमेर (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)